न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा
सत्र वाद सं0– 311/19
चण्डी थाना कांड सं0– 385/18
रजिस्ट्रेशन नं0– 151/19

उपस्थित
दीपक कुमार यादव
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा

राज्य द्वारा : रेणु देवी (सूचिका).....अभियोजन
बनाम

1. रवि कुमार उर्फ मुटुर पिता स्व0 शंकर राम, उम्र करीब 26 वर्ष
2. मिथुन कुमार पिता श्री रघुनाथ प्रसाद, उम्र करीब 28 वर्ष
   दोनों सा0– बढ़ौना, थाना चण्डी, जिला नालन्दा

प्राथमिकी : चण्डी थाना कांड सं0– 385/18

संज्ञान : दि0– 01/02/2019 को I/C ए0सी0जे0एम0 I हिलसा द्वारा संज्ञान आदेश

दौरा सुपुर्द : दि0– 01/06/2019 को I/C ए0सी0जे0एम0– I हिलसा द्वारा दौरा सुपुर्दगी

थाना : चण्डी

जिला : नालन्दा

आरोप अन्तर्गत दफा– 366(ए)/34 भा0द0वि0

अभियोजन की ओर से : श्री ब्रजनन्दन प्रसाद अभियोजन पदाधिकारी

बचाव पक्ष की ओर से: श्री भानु प्रसाद विद्वान अधिवक्ता

हिलसा दिनांक 12 वीं जून 2026 ई0

निर्णय

1. उपरोक्त नामांकित दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा– 366(ए)/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन कर विचारण किया गया है।

2. सूचिका रेणु देवी पति स्व0 विनोद सिंह, ग्रा0 बढ़ौना द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचिका की पुत्री अंजली कुमारी, उम्र 15 वर्ष, दिनांक 30/11/2018 को शाम 3:00 पी0एम0 बजे में कोचिंग के लिए चण्डी गई थी पर शाम 7 बजे तक घर नहीं लौटने पर खोज–बीन शुरू किया गया तो पता चला कि मिथुन कुमार वल्द रघुनाथ राउत बढ़ौना निवासी ने लिफ्ट देने के बहाने उसका अपहरण कर लिया है। खोज–बीन के दौरान यह भी पता चला कि इस कार्य में उसके पिता रघुनाथ राउत और भाई अमित कुमार भी शामिल है। पुनः रात 10:00 बजे पता चला कि उसकी दो सहेली रिया कुमारी उर्फ जुली कुमारी पिता राजु सिंह तथा सोनी कुमारी

Scanned with OKEN Scanner

पिता राजीव कुमार उर्फ छोटे सिंह भी लापता है तथा दोनों ग्राम बढ़ौना निवासी हैं। इन दोनों लड़की को भी आखरी बार रवि कुमार उर्फ मुटुर वल्द शंकर राम, राजा कुमार वल्द अजमेर राम तथा आदित्य राज बर्द्धन वल्द राजिव कुमार उर्फ पप्पु के साथ देखा गया है। ये सभी मिथुन कुमार के सहयोगी हैं तथा इस साजिश में ये लोग भी शामिल हैं। ये लोग साजिसन अपहरण कर शारीरिक शोषण कर लड़कियों को बेच देते हैं।

3. सूचिका के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर चण्डी थाना काण्ड थाना सं0– 385/18, दिनांक 02/12/2018, अन्तर्गत धारा– 366(ए)/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत काण्ड दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र सं0– 06/19 दिनांक 22/01/2019 के द्वारा अभियुक्त मिथुन कुमार एवं रवि कुमार उर्फ मुटुर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा– 366, 366(ए)/24 भा0द0वि के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया। संज्ञानोपरान्त यह वाद दिनांक 01/06/2019 को दौरा सुपुर्द किया गया तथा स्थानान्तरण के क्रम में यह वाद दिनांक 20/07/2024 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् अभियुक्तों की उपस्थिति के उपरान्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा– 366(ए)/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप गठित कर हिन्दी में पढ़कर कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्तों के द्वारा इन्कार किया गया एवं वाद में विचारण का दावा किया गया।

4. अभियुक्तों द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा– 313 द0प्र0स0 के अन्तर्गत अपने को निर्दोष बताया गया तथा झूठा फंसाने की बात कथित की गई।

इस वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन के द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफलता पाई है अथवा नहीं?

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

6. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया, परन्तु अभियोजन द्वारा क्रमशः चार साक्षी अभियोजन साक्षी सं0– 1 राजु शर्मा (अपहृता रिया कुमारी के पिता), अभियोजन साक्षी सं0– 2 निशा देवी (अपहृता रिया कुमारी की माँ), अभियोजन साक्षी सं0– 3 राजीव कुमार (अपहृता सोनी कुमारी के पिता) एवं अभियोजन साक्षी सं0– 4 रेणु देवी (सूचिका सह अपहृता अंजली कुमारी की माँ) का साक्ष्य कराया गया है।

7. अभियोजन साक्षी सं0– 1 राजु शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना सात वर्ष पहले की है। सूरत से घर आया तो पता चला कि रुपम कुमारी, अंजली कुमारी और रीया कुमारी कहीं चली गई है, तीनों कोचिंग करने गई थी। साक्षी जब चार दिन बाद घर आया और खोज बीन किया तो पता चला कि तीनों अपने–अपने नानी घर चली गई थी। पुलिस के आने पर साक्षी ने कागज पर हस्ताक्षर किया था पर कागज को पढ़ा नहीं था, पुलिस ने कहा कि सिर्फ हस्ताक्षर कर दो। उसके बाद साक्षी सूरत चला गया था। रीया कुमारी, सोनी कुमारी और अंजली कुमारी अभी अपने–अपने ससुराल में हैं तथा साक्षी की बेटी रिया कुमारी गिरिडीह में है, अन्य दो का ससुराल कहां

Scanned with OKEN Scanner

है, उसे पता नहीं है। साक्षी ने पुलिस में अपना बयान से इन्कार किया है। अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका– 4 में साक्षी द्वारा पुलिस बयान से इन्कार करते हुए कथन किया गया कि उसने पुलिस में ऐसा बयान नहीं दिया था कि उसकी पुत्री रिया कुमारी उर्फ जूली कुमारी उसकी सहेली अंजली कुमारी और सोनी कुमारी के साथ प्रतिदिन की भांति कोचिंग पढ़ने गई थी पर लौट कर घर नहीं आई। खोज बीन करने पर पता चला कि उसकी पुत्री रिया कुमारी एवं सहेली सोनी कुमारी को रवि कुमार एवं आदित्य कुमार बर्धन के साथ जाते देखा गया था एवं अंजली कुमारी को शादी के नियत से मिथुन कुमार एवं मिथुन कुमार के पिता रघुनाथ राव एवं उसका भाई अमित कुमार कहीं लेकर चले गए थे और ये सभी लोग मनबढ़ू किस्म के व्यक्ति हैं। ये लोग लड़की को बहका कर शारीरिक शोषण कर बेच देते हैं। कंडिका– 5 में साक्षी कथन करते हैं कि आज न्यायालय में मिथुन कुमार और रवि कुमार उपस्थित हैं, उसे पहचानने की बात कहते है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका– 6 में साक्षी के द्वारा कथन किया गया कि वादिनी रेणु देवी उसकी चचेरी भाभी है, वादिनी रेणु देवी के साथ अच्छा संबंध है, मुदालयगण उसके ग्रामीण हैं, इसलिए उन्हें पहचानने की बात कहते हैं। उन्होनें अपने स्वेच्छा से न्यायालय में गवाही देने की बात कही हैं।

8. अभियोजन साक्षी सं0– 2 निशा देवी पति राजु शर्मा द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया गया कि उसके पति का नाम राजु शर्मा है, उसकी एक पुत्री है, जिसका नाम रीया कुमारी है। रीया कुमारी आज से सात–आठ वर्ष पहले घर में मामा, दादी के साथ रहती थी, साक्षी उस समय सूरत में रहती थी। उपरोक्त घटना पॉच–सात वर्ष पहले की बताई है। बाद में हमलोग आए तो घटना के बारे में पता चला था। पुनः कहती हैं कि उन्हें घटना के संबंध में कुछ नहीं पता है तथा पुलिस में बयान नहीं होने का कथन करती हैं। अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका– 4 में कथन करती है कि पुलिस में ऐसा बयान नही था कि उसकी पुत्री रिया कुमारी उर्फ जूली कुमारी अपनी सहेली अंजली कुमारी एवं सोनी कुमारी के साथ प्रति दिन की भांति कोचिंग पढ़ने गई थी परन्तु शाम तक घर वापस नहीं आई तो खोज–बीन करने लगे, खोजने के क्रम में पता चला कि उसकी पुत्री एवं सहेली सोनी कुमारी को रवि कुमार एवं आदित्य कुमार बर्धन के साथ जाते देखा गया था। अंजली कुमारी को शादी के नियत से मिथुन कुमार एवं मिथुन के पिता रघुनाथ राव तथा भाई अमित कुमार कहीं लेकर चले गए थे तथा शारीरिक शोषण कर बेच देते हैं। साक्षी द्वारा कंडिका– 5 में कथन किया कया हैं कि रेणू देवी उसकी पड़ोसी हैं तथा आज न्यायालय में जो खड़े हैं वह उसके गांव के हैं इसलिए उसे पहचानने की बात कहती हैं तथा उनका नाम नहीं जानने की बात कहती हैं। साक्षी द्वारा कंडिका– 7 में कथन किया गया है कि घटना के समय साक्षी घर पर नहीं थी। बाद में उसे जानकारी हुई कि उसकी पुत्री अपनी नानी के घर चली गई थी। अभी साक्षी की पुत्री की शादी हो गई है और वह अपने ससुराल में रहती है। अभियुक्तगण उनके गॉव के हैं, इसलिए उन्हें पहचानने की बात कहती हैं तथा उनलोगो का नाम नहीं जानने की बात कहते हुए अभियुक्तगण से कोई झगड़ा नहीं होने का कथन करती हैं। साक्षी द्वारा न्यायालय में अपनी स्वेच्छा से गावही देने की बात कही गई और उनका मुदई से उनका अच्छा संबंध है।

COURT OF A.D.J. Civil Court Hilsa (Nalanda)

9 अभियोजन साक्षी सं0– 3 राजीव कुमार (अपहृता सोनी कुमार का पिता) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया गया कि घटना करीब छह साल पहले की है, समय

Scanned with OKEN Scanner

तीन बजे दिन का था। रीया कुमारी, सोनी कुमारी और जूली कुमारी चण्डी बाजार गई थी, वे गुजरात में थे। साक्षी की भाभी रेणु देवी फोन से खबर दिया कि शाम हो गई है पर आपकी बच्ची सोनी कुमारी घर नहीं आई है, गुजरात से उन्हें आने में दस दिन का समय लग गया तथा आने के बाद छान–बीन किया तो पता चला कि सोनी कुमारी अपनी मौसी के यहॉ पटना जिला जगमाल बिघा में थी और वहॉ से उसे ले आया। रवि और मिथुन के साथ सोनी कुमारी गई थी। साक्षी द्वारा कथन किया गया कि आज न्यायालय में रवि कुमार उपस्थित है उसे पहचानते है तथा अन्य को भी देखकर पहचान सकते हैं।

अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका– 4 में साक्षी द्वारा कथन किया गया कि उन्हें सूचना मिलने के दस दिन बाद यहॉ आया था। उनकी बच्ची मौसी के यहॉ गई थी तथा अपनी बच्ची से बात करने पर पता चला कि वह अपनी स्वेच्छा से अपनी मौसी के यहां गई थी तथा शक के आधार पर उनकी भाभी मुदालयगण का नाम केस में दे दिया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 5 में कथन करता है कि उसकी बच्ची सोनी कुमारी की शादी हो गई है और वह अपने ससुराल में रहती है। कंडिका– 6 में कथन करते हैं कि मुदालयगण से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। मुदालयगण उनके गांव के है इसलिए उन्हें पहचानने की बात कहते हैं तथा पुलिस में अपना बयान नहीं होने का कथन करते है, जैसा केस किया गया है वैसी कोई घटना नहीं होने का कथन करते हैं। साक्षी का अपनी भाभी से अच्छा संबंध होने का कथन करते हैं।

10. अभियोजन साक्षी सं0– 4 रेणु देवी पति स्व0 विनोद कुमार, जो इस घटना की सूचिका भी हैं तथा अपहृता अंजली कुमारी की मॉ है। साक्षी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया गया कि यह मुकदमा उन्होंने की है, मिथुन और मुटुन पर यह केस की है। घटना सात–आठ वर्ष की है, करीब ढ़ाई बजे दिन का समय का होने का कथन करती हैं। साक्षी के द्वारा कथन किया गया कि उसकी पुत्री अंजली कुमारी कोचिंग गई थी और शाम तक घर नहीं आई तो उसने गॉव में खोजबीन की तो खोजबीन में ग्रामीणों द्वारा पता चला कि मिथुन और मुटुन उसकी पुत्री अंजली के आगे–पीछे था तथा साक्षी को पता चला कि उसकी पुत्री अपने नानी के घर ग्राम पुऑरी में है। घटना के संबंध में थाना में आवेदन दिए थे, पहचान पर साक्षी का हस्ताक्षर प्रदर्श पी–1/पी डब्लू– 4 अंकित किया गया है। साक्षी द्वारा न्यायालय में उपस्थित मिथुन और मुटुन को पहचानने का कथन किया गया।

अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी रेणु देवी के द्वारा कंडिका– 2 में कथन किया गया कि यह मुकदमा गॉव वाले के कहने पर शक के आधार पर कर देने की बात कहती हैं। कंडिका' 3 में कथन किया गया कि यह मुकदमा में आवेदन को पढ़कर नहीं सुनाया गया था, साक्षी सिर्फ दस्तखत कर दी थी। साक्षी के द्वारा कंडिका– 4 में कथन किया गया कि उसकी बच्ची अपने नानी के घर चली गई थी। उसके पास दो बच्चा है, वह अच्छी तरह से रह रही है। कंडिका– 5 में कथन किया गया कि दोनों मुदालय से उनकी कोई शिकायत नहीं है। कंडिका– 6 में कथन किया गया कि पुलिस द्वारा उनसे कभी पूछ–ताछ नहीं की है। कंडिका– 7 में कथन करती हैं कि न्यायालय में उपस्थित दोनों अभियुक्त उनके ग्रामीण हैं इसलिए उन्हें पहचानती हैं। कंडिका– 8 में कथन किया गया कि उनकी बच्ची को कोई अपहरण नहीं हुआ था। कंडिका– 9 में साक्षी द्वारा कथन किया गया कि बिना किसी के दबाव में वह अपने स्वेच्छापूर्वक गवाही दे रही हैं।

11. दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल चार साक्षियों का साक्ष्य कराया ग

COURT OF A.D.J. Civil Court Hilsa (Nalanda)

Scanned with OKEN Scanner

गया है जिसमें अभियोजन साक्षी सं0– 1 राजु शर्मा (अपहृता रिया कुमारी के पिता), अभियोजन साक्षी सं0– 2 निशा देवी (अपहृता रिया कुमारी की मॉ), अभियोजन साक्षी सं0– 3 राजीव कुमार (अपहृता सोनी कुमारी के पिता) एवं अभियोजन साक्षी सं0– 4 रेणु देवी (सूचिका सह अपहृता अंजली कुमारी की मॉ) है।

12. अभियोजन साक्षी सं0– 1 राजु शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि जब वह सूरत से घर आया तो पता चला कि रुपम कुमारी, अंजली कुमारी और रीया कुमारी कहीं चली गई है, तीनों कोचिंग करने गई थी। साक्षी जब खोज बीन किया तो पता चला कि तीनों अपने–अपने नानी घर चली गई थी। पुलिस के आने पर साक्षी ने कागज पर हस्ताक्षर किया था पर कागज को पढ़ा नहीं था, पुलिस ने कहा कि सिर्फ हस्ताक्षर कर दो। रीया कुमारी, सोनी कुमारी और अंजली कुमारी अभी अपने–अपने ससुराल में हैं तथा साक्षी की बेटी रिया कुमारी गिरिडीह में है, अन्य दो का ससुराल कहां है, उसे पता नहीं है। साक्षी ने पुलिस में अपना बयान से इन्कार किया है। अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका– 4 में साक्षी द्वारा पुलिस बयान से इन्कार किया गया है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका– 6 में साक्षी के द्वारा कथन किया गया कि वादिनी रेणु देवी उसकी चचेरी भाभी है, वादिनी रेणु देवी के साथ अच्छा संबंध है, मुदालयगण उसके ग्रामीण हैं, इसलिए उन्हें पहचानने की बात कहते हैं। उन्होनें अपने स्वेच्छा से न्यायालय में गवाही देने की बात कही हैं।

13. अभियोजन साक्षी सं0– 2 निशा देवी पति राजु शर्मा द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया गया उसकी पुत्री रीया कुमारी के अपहरण की घटना के संबंध में कुछ नहीं पता है तथा पुलिस में बयान नहीं होने का कथन करती हैं। अभियोजन के निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। प्रतिपरीक्षण के कंडिका– 4 में पुलिस बयान से इन्कार किया गया है। साक्षी द्वारा कंडिका– 5 में कथन किया कया हैं कि रेणू देवी उसकी पड़ोसी हैं तथा आज न्यायालय में जो खड़े हैं वह उसके गांव के हैं इसलिए उसे पहचानने की बात कहती हैं तथा उनका नाम नहीं जानने की बात कहती हैं। साक्षी द्वारा कंडिका– 7 में कथन किया गया है कि घटना के समय साक्षी घर पर नहीं थी। बाद में उसे जानकारी हुई कि उसकी पुत्री रिया कुमारी अपनी नानी के घर चली गई थी। अभी साक्षी की पुत्री की शादी हो गई है और वह अपने ससुराल में रहती है। अभियुक्तगण उनके गॉव के हैं, इसलिए उन्हें पहचानने की बात कहती हैं तथा उनलोगो का नाम नहीं जानने की बात कहते हुए अभियुक्तगण से कोई झगड़ा नहीं होने का कथन करती हैं। साक्षी द्वारा न्यायालय में अपनी स्वेच्छा से गावही देने की बात कही गई और उनका मुदई से उनका अच्छा संबंध है।

14. अभियोजन साक्षी सं0– 3 राजीव कुमार (अपहृता सोनी कुमार का पिता) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया गया कि घटना करीब छह साल पहले की है, समय तीन बजे दिन का था। रीया कुमारी, सोनी कुमारी और जूली कुमारी चण्डी बाजार गई थी, वे गुजरात में थे। गुजरात से आने के बाद छान–बीन किया तो पता चला कि सोनी कुमारी अपनी मौसी के यहॉ पटना जिला जगमाल बिघा में थी और वहॉ से उसे ले आया। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका– 4 में साक्षी द्वारा कथन किया गया कि उनकी बच्ची

COURT OF A.D.J.

Scanned with OKEN Scanner

मौसी के यहॉ गई थी तथा अपनी बच्ची से बात करने पर पता चला कि वह अपनी स्वेच्छा से अपनी मौसी के यहां गई थी तथा शक के आधार पर उनकी भाभी मुदालयगण का नाम केस में दे दिया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 5 में कथन करता है कि उसकी बच्ची सोनी कुमारी की शादी हो गई है और वह अपने ससुराल में रहती है। कंडिका– 6 में कथन करते हैं कि मुदालयगण से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। मुदालयगण उनके गांव के है इसलिए उन्हें पहचानने की बात कहते हैं तथा पुलिस में अपना बयान नहीं होने का कथन करते है, जैसा केस किया गया है वैसी कोई घटना नहीं होने का कथन करते हैं। साक्षी का अपनी भाभी से अच्छा संबंध होने का कथन करते हैं।

15. अभियोजन साक्षी सं0– 4 रेणु देवी पति स्व0 विनोद कुमार, जो इस घटना की सूचिका भी हैं तथा अपहृता अंजली कुमारी की मॉ है। साक्षी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया गया कि यह मुकदमा उन्होंने की है, मिथुन और मुटुन पर यह केस की है। उसकी पुत्री अंजली कुमारी कोचिंग गई थी और शाम तक घर नहीं आई तो उसने गॉव में खोजबीन की तो खोजबीन में साक्षी को पता चला कि उसकी पुत्री अपने नानी के घर ग्राम पुऑरी में है। अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी रेणु देवी के द्वारा कंडिका– 2 में कथन किया गया कि यह मुकदमा गॉव वाले के कहने पर शक के आधार पर कर देने की बात कहती हैं। कंडिका' 3 में कथन किया गया कि यह मुकदमा में आवेदन को पढ़कर नहीं सुनाया गया था, साक्षी सिर्फ दस्तखत कर दी थी। साक्षी के द्वारा कंडिका– 4 में कथन किया गया कि उसकी बच्ची अपने नानी के घर चली गई थी। उसके पास दो बच्चा है, वह अच्छी तरह से रह रही है। कंडिका– 5 में कथन किया गया कि दोनों मुदालय से उनकी कोई शिकायत नहीं है। कंडिका– 6 में कथन किया गया कि पुलिस द्वारा उनसे कभी पूछ–ताछ नहीं की है। कंडिका– 7 में कथन करती हैं कि न्यायालय में उपस्थित दोनों अभियुक्त उनके ग्रामीण हैं इसलिए उन्हें पहचानती है। कंडिका– 8 में कथन किया गया कि उनकी बच्ची को कोई अपहरण नहीं हुआ था। कंडिका– 9 में साक्षी द्वारा कथन किया गया कि बिना किसी के दबाव में वह अपने स्वेच्छापूर्वक गवाही दे रही हैं।

16 अभिलेख का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि आरोप पत्र में उपरोक्त नामित अपहृताओं को साक्षी नहीं बनाया गया है न ही काण्ड दैनिकी में उनका बयान अन्तर्गत धारा– 161 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया है। यद्यपि कि काण्ड दैनिकी के कंडिका– 41, कंडिका– 42 एवं कंडिका– 43 में अपहृताओं का बयान अन्तर्गत धारा– 164 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया है। अपहृता रिया कुमारी का बयान विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा दिनांक 08/12/2018 को लिखित किया गया, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया कि वह, सोनी एवं अंजली तीनों घूमने दिनांक 30/11/2018 को चण्डी बाजार गए थे तो मंदिर के पास कुछ लोग पीछे से नाक में कुछ नशीला चीज सुंधाकर हमलोगों को बोलोरो में बैठा लिया। जब होश आया तो चण्डी थाना में थे। अपहृता सोनी कुमारी का बयान विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा दिनांक 08/12/2018 को लिखित किया गया, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया कि वह रिया एवं अंजली तीनों घूमने बाईपास गए थे तभी पीछे से नाक में कुछ नशीला चीज सुंधाकर हमलोगों को बोलोरो में बैठा लिया। हामलोगों को पता नहीं चला कि कहां ले गया, सभी आदमी अपना चेहरा ढके हुए थे। होश आया तो चण्डी थाना में थे। अपहृता अंजली कुमारी द्वारा दिए गए बयान में कथन किया गया कि पिछले शुक्रवार दिनांक 30/12/2018 को अपने गांव से एक बजे रात को अंजली कुमारी, रिया कुमारी एवं मिथुन कुमार, रवि कुमार एवं आदित्य कुमार के

Scanned with OKEN Scanner

साथ हिलसा चले आए वहॉ वकील साहब से मिले, जिन्होंने तीन–तीन हजार रुपया लेकर मेरी शादी मिथुन के साथ, रिया की शादी रवि कुमार के साथ एवं सोनी की शादी आदित्य कुमार के साथ करवा दिया। वहॉ से हमलोग पटना चले गए वहॉ छः–सात दिन किराये के मकान में रहे, पुलिस हमलोगों को बस स्टैण्ड से पकड़कर चण्डी थाना ले आई। जहॉ मेरे साथ पुलिस वालों ने गाली–गलौज और मारपीट किए। हमलोग अपनी इच्छा से शादी किए थे, पहले से एक–दूसरे से प्यार करते थे। लड़का का कोई कसूर नहीं है।

17. यद्यपि कि अभियोजन की ओर से उपरोक्त अपहृताओं का साक्ष्य उनके संबंधित बयानों को सम्पुष्ट करने हेतु न्यायालय में उनका साक्ष्य कराया जाना चाहिए था परन्तु अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष उनका साक्ष्य न तो प्रस्तुत किया जा सका है न ही प्रस्तुत न करने का कोई उचित कारण दर्शित किया गया है। इसक बावजूद भी यदि उपरोक्त तीनों अपहृताओं के बयान को विचार में लिया जाए तो यह स्पष्ट है कि तीनों अपहृता के बयान में विरोधाभाष है जिसमें अपहृता रिया कुमारी एवं सोनी कुमारी द्वारा किसी भी अभियुक्त को नहीं पहचाना जा सका है। जबकि अपहृता अंजली कुमारी द्वारा अभियुक्तगण के साथ राजी–खुशी से विवाह कर लेने की बात कथित की गई है, जो कि संदेहास्पद प्रतीत होता है, तथा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों के भी विरोधाभाष में है। उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्यों के परस्पर अवलोकन से एवं विवेचनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अभियोजन अपना मुकदमा अभियुक्तों पर सभी संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

18. अभियुक्तगण 1. रवि कुमार उर्फ मुटुर एवं 2. मिथुन कुमार को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा– 366(ए)/34 भा0द0वि0 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित

Deepak Kr. Yadav

अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा
दि0 12/06/2026

COURT OF A.D.J. 3rd
Civil Court Hilsa (Nalanda)

लेखापित संशोधित एवं उदघोषित

Deepak Kr. Yadav

अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा
दि0 12/06/2026

COURT OF A.D.J.
Civil Court Hilsa (Nalanda)

Scanned with OKEN Scanner